न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 03/2024 निर्णय दिनांक -22.10.2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/0050)

(प्रा.पत्र अ धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं धारा 88 आर.टी.एक्ट.)

रामप्यारी पत्नि लक्ष्मण जाति बावरी निवासी 12 बीएलएम तहसील व जिला अनूपगढ़ राजस्थान।

..........प्रार्थी..........

बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

उपस्थिति- 01. श्री प्रेम सिंह सैनी, श्री बक्शीश सिंह थिन्द, वकील प्रार्थी
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 6 ए.पी.डी. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 14 प.न. 233/398 का कि.न. 1, 2, 5/2, 6/2, 9, 10, 15/2, 16/2, 17 ता 24, 25/1 का 3.2790 है. भूमि कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 का खाता सं. 49 में है। यहां यह बताना उचित समझती हूँ उक्त वर्णित भूमि वादीया के नाम से जरीये नामान्तरणकरण संख्या 143 के प्राप्त हुई है जो कि वादीया की जरीये बैयनामा क्रम संख्या 2008000122 के खरीद की हुई है वादीया के द्वारा भूमि मन्शा पुत्र मोतीराम से खरीद की थी जो कि वादीया के द्वारा जरीये बैयनामा जो भूमि खरीद की थी वह चक 6 ए.पी.डी. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 14 प.न. 233/398 का कि.न. 1, 2, 9, 10 का 1.0120 है. व कि.न. 17 ता 24 प्रत्येक 0. 2530 है. कुल 2.0240 है. कमाण्ड व मु. न. 14 का कि.न. 25 का 0.2530 है. में से 6.5X165 फुट उत्तर दक्षिण छोड़ते हुए शेष भूमि खरीद की थी यानि कि.न. 25 का 0. 2430 है. भूमि को वादीया के द्वारा खरीद किया गया है। कि.न. 5, 6, 15, 16 का कोई भाग वादीया के द्वारा खरीद नहीं किया गया है। कब्जा भूमि मुझ वादीया के पास निरन्तर खरीद रोज से साधिकार चला आ रहा है व वर्तमान में भी कब्जा काश्त में है । किन्तु उपरोक्त बैयनामा का नामान्तरणकरण दर्ज करने के समय राजस्व कर्मचारी के द्वारा सहवन से कि.न. 25 में 0.243 है. भूमि दर्ज के बजाए कि.न. 25/1 का 0.203 है. दर्ज कर दिया एंव कि.न. 25 में कम हुई भूमि का योग पूरा करने के लिए कि.न. 5, 6, 15, 16 में प्रत्येक 0.010 है. भूमि दर्ज कर दी गई है जबकि कि.न.5, 6, 15, 16 में कोई भी भाग मुझ वादीया के द्वारा खरीद नहीं किया गया है व कि.न. 25 में 0.203 के स्थान पर 243 है. भूमि वादीया के खरीद की गई है व कि.न. 25 में 0.2430 है. की वादीया खातेदार टेनेन्ट है किन्तु वादीया के नाम से [illegible] 0.203 है. भूमि ही दर्ज रिकार्ड सहवन से किया गया है एंव इसमें शेष र[illegible] कि.न. 5, 6, 15, 16 में दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीया [illegible] 16 की भूमि को खरीद नहीं किया गया है इसलिए वादीया स्वयं को कि.न. 25/1 [illegible] 0.2430 है. की खातेदार [illegible] घोषित करवाने एंव राजस्व रिकार्ड में जरीये दूरूस्ती कि[illegible] 25/1 का 0.203 है. के [illegible] 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2430 है. भूमि दर्ज करवाने व कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक का 0.010 है. भूमि का अंकन जमाबन्दी से हटवाने की अधिकारी है। चूँकि वादीया के द्वारा पूर्व में अपनी फसल को प्राईवेट विक्रय कर दिया जाता था किन्तु अब माह अप्रैल 2024 में फसल सरकार को विक्रय के लिए ऑन लाईन प्रक्रिया हेतु जमाबन्दी, गिरदावरी की आवश्यकता होने पर जब रिकार्ड प्राप्त किया तब उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उक्त त्रुटि को दूरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु आज से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा इस बाबत माननीय न्यायालय में चाराजोही करने का कहते हुए उक्त त्रुटि को दूरूस्त करने से इन्कार कर दिया गया जिस कारण से वादीया को मजबूरन माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। वादीया को चक 6 ए.पी.डी.तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 14 प. न. 233/398 का कि.न. 25/1 का 0.2430 है. भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर जरीये दूरूस्ती पत्र जमाबन्दी चक 6 ए.पी.डी. सम्वत् 2072-2075 खाता सं. 49 में दर्ज कि.न. 25/1 का 0.203 है. के स्थान पर 0.2430 है. भूमि दर्ज करने एंव कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक का 0.010 है. भूमि का इन्द्राज उक्त खाता से हटाया जाने के आदेश पारित किये जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए चक 6 ए.पी.डी.तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 14 प.न. 233/398 के कि.न. 25/1 के 0.243 है. भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर कि.न. 25/1 के 0.203 हैक्टर के स्थान पर 0.243 हैक्टर भूमि दर्ज करने एंव कि.न. 5, 6, 15, 16 प्रत्येक का 0.010 है. भूमि का इन्द्राज उक्त खाता से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 22.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner